

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-5)विभाग  
क्रमांक प.3(3)चिकि.5/2014

जयपुर दिनांक 8/12/14

:: संशोधन आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.12.2014 द्वारा औषधियों की गुणवत्ता बढ़ाने, औषधियों की आपूर्ति निर्धारण एवं जनता को जैनेरिक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु गठित समिति (Expert Committee for Enhancing Quality Parameters of Drug & Supplies and Perception of Generic medicines amongst Public) को निम्नानुसार पुनर्गठित/संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1.वाईस चान्सलर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर(आर.यू.एच.एस.) चैयरमेन
- 2.संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा,विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर सदस्य
- 3.अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय जयपुर सदस्य
- 4.श्री अशोक भण्डारी-औषधि नियन्त्रक,-I चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर सदस्य
- 5.डॉ० मुकुल माथुर- फार्माकॉलोजी डिपार्टमेन्ट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर सदस्य

उक्त संशोधन आदेश विभाग के सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


६०

(आर.के.सोनी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2.निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा शिक्षा विभाग राज.जयपुर
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4.मिशन निदेशक एनएचएम/प्रबंध निदेशक आरएमएससी।
- 5.वाईस चान्सर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर(आर.यू.एच.एस.)
- 6.संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा शिक्षा विभाग,राजस्थान,जयपुर
- 7.रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर(आर.यू.एच.एस.)
- 8.अधीक्षक,सवाईमान सिंह चिकित्सालय,जयपुर
- 9.श्री अशोक भण्डारी, औषधि नियंत्रक-I चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर
- 10.डा.मुकुल माथुर,फार्माकॉलोजी डिपार्टमेन्ट, एस.एम.एस.मेडिकल कॉलेज,जयपुर
- 11.रक्षित पत्रावली

  
शासन उप सचिव